न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2021	अपील 75 LRA	24.03.2021	30.01.2023

1. सुश्री पूजा पुत्री स्वर्गीय मातुराम जाति माली निवासीनी ग्राम कड़वासर तह. जिला चूरू(राज.)

—अपीलाण्ट—

बनाम

1. ग्राम पंचायत कड़वासर, जरिये सरपंच
2. तहसीलदार, चूरू
3. शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय मातुराम जाति माली निवासीनी कड़वासर जिला चूरू(राज.) हाल सजायाप्ता बंदी केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (राज.)

—रेस्पोडेण्ट्स—

4. दिनेश पुत्र मातुराम जाति माली निवासी ग्राम कड़वासर तह. व जिला चरू (राज)

—गौण रेस्पोडेण्ट्स—

अपील विरूद्ध निर्णय प्रस्ताव व आदेश इन्तकाल सं. 990 व 991 दिनांक 05.09.2017

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रघुनन्दन सोनी अपीलाण्ट
2. पैरोकार राज

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से अपील पेश कर निवेदन किया गया कि

1. ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 990 व 991 दिनांक 05.09.2017 को ग्राम कड़वासर के रकबा की कृषि भूमि हेतू रेस्पोडेंट संख्या 02 को मृतक मातूराम की विधिक उतराधिकारी की बाबत स्वीकृत नामान्तरण आदेश पूर्णतया खिलाफ कानून, कायदा व न्याय नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य

(क) यह कि ग्राम कड़वासर तहसील चूरू के रकबा में एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 482/378 की तादादी 6.9682 हैक्टेयर व इसके अतिरिक्त एक अन्य कृषि भूमि ग्राम कड़वासर के रकबा में खसरा नम्बर 138, 139, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 372, 374 कुल किता 11 की कुल तादादी 29.0108 हैक्[illegible] की मृत्यु के पश्चात् उक्त मृतक खातेदार के उतराधिकारीगण में विरासतन [illegible] पुत्रियां नामतः रिछपाल, सोहनलाल, शुभकरण, तोताराम, भंवरलाल, [illegible] व अपीलाण्ट के पिता मृतक मातूराम के वारिसान में शारद[illegible]ाण्ट पूजा [illegible] के नाम से नामान्तरण संख्या 990 व 991 [illegible] को रेस्पोडेंट संख्[illegible]ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:08 IST
Reason: SelfAttested

कड़वासर द्वारा स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण की बिनाय पर अपीलांट संख्या 02 ने खातेदारी दर्ज कर दी गई।

(ख) ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा स्वीकृत नामानन्तरण संख्या 990 व 991 दिनांक 05.09.2017 से मृतक मातूराम के विधिक वारिसान के रूप में मृतक की पत्नी शारदादेवी का नाम विधि के प्रावधानों के विपरित दर्ज किया जाने से उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

(ग) अपीलांट के पिता मृतक मातूराम की हत्या दिनांक 01.05.2003 को अपीलाण्ट की माता शारदा देवी व महेन्द्र सैनी पुत्र सागरमल जाति माली निवासी ग्राम रघुनाथ पुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर ने मिलक निर्ममता पूर्वक कर दी गई थी। जिस पर FIR NO 01/2014 पिुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर में जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 302, 301 व 120 बी IPC में दर्ज की गई, तत्पश्चात् पुलिस ने अनुसन्धान पूर्ण कर CHARGE SHEET दिनांक 15.01.2005 से अपीलांट की माता शारदादेवी व महेन्द्रसेनी के विरूद्ध न्यायालय अपर सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) संख्या 02, जयपुर में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाद ट्रायल उक्त प्रकरण संख्या 16/2005 का अंतिम निर्णय दिनांक 30.05.2007 पारित करते हुये अपीलांट की माता शारदा देवी व महेन्द्र सैनी को दोष सिद्ध ठहराते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 में आजीवन कारावास व 2000–2000 रूपये के जुर्माना तथा धरा 301 भा.द.सं. में प्रत्येक अभियुक्त को दो–दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार अपीलांट की माता ने अपने पति की हत्या कर दिये जाने व दोषी सिद्ध पाये जाने के पश्चात् भी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरित जाकर मृतक मातूराम की उतराधिकारी में रेस्पोडेंट संख्या 03 शारदादेवी का नाम दर्ज किये जाने से उक्त पारित नामान्तरण आदेश आपास्त किये जाने योग्य है।

(घ) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पति की मृत्यु के पश्चात् पति की सम्पति में पत्नी व उनके विधिक वारसिान में उतराधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार वे अपने पति से प्राप्त होने वाली सम्पति में अपने अधिकारों को निर्वापित कर दिया है।

25. Murderer disqualified- A person Who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered, or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder.

(ङ) उपरोत अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 03 ने अपने पति मातुराम की हत्या कर देने व हत्या का आरोप सिद्ध होकर इस समय सजायाप्ता बंदी है। जिससे पूर्णताय प्रमाणित होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा अपने पति की हत्या की गई है, मगर ग्राम पंचायत कड़वासर ने इस अहम कानूनी बिन्दू का ध्यान न देकर विधि विरूद्ध रूप से विधि के प्रावधानो के विपरित जाकर रेस्पोडेंट संख्या 03 का नाम मृतक के उतराधिकारी के स्वीकार करते हुये नामान्तरण का पृष्ठांकन राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है। जो हर सूरत में काबिले अपास्त योग्य है।

(च) ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा नामा[illegible]या 990 व 991 दिनांक 05/09/2017 जो अपीलांट के दादा की मृत्[illegible]के विधिक वारिसान में दर्ज कर दिया गया था, उस समय अपीलांट नाबालिग [illegible] जिसको बालिग होने पर राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट संख्या 03 का नाम [illegible]या के रूप में नाम दर्ज होने की जानकरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:08 IST
Reason: SelfAttested

हुई, जिस पर अपीलांट द्वारा शारदा देवी का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाये जाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेंट संख्या 02 तहसीलदार महोदय चूरू के समक्ष दिनांक 09.12.2020 को प्रस्तुत किया गया, अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा असल प्रार्थना–पत्र ही दिनांक 21.12.2020 को वापस इस नोट के साथ लौटाया" कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की विषयवस्तु से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाता है" उक्त आदेश को मेरे वकील साहेब द्वारा दिनांक 21.12.2020 को प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात् उनके द्वारा इंतकाल प्रमाणित प्रति दिनांक 21.01.2021 को प्राप्त कर ली थी, चूंकि मैं बीकानेर में नर्सिंग की छात्रा हूं इसलिए समय पर चूरू आकर अपने वकील साहेब से मिल नहीं पाने के कारण अपील पेश करने में देरी हो गई

(छ) दिनांक 21.01.2021 को नामान्तरण संख्या 990 व 991 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने से 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी होती है, मगर उक्त अवधि में अपीलांट नर्सिंग कॉलेज बीकानेर से न आने की वजह से अपील प्रस्तुत करने में देरी रही है। जिसको कन्डोन करवाये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 का पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मंजूरी प्राप्त कर अपील अन्दमियाद प्रस्तुत है।

(ज) यह कि अपील तहसीलदार चूरू के आदेश के विरूद्ध है, जिसको सुनने हेतु श्रीमानजी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

(झ) अपील अपीलांट श्रीमान न्यायालय में उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

(ञ) अन्य तथ्य वरवक्त बहस निवेदन कर दिये जावेगे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को सम्मन जारी किये गये । जिस पर रेस्पो. सं. 03 के सम्मन अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जयपुर के पत्रांक 5973 दिनांक 01.04.221 के संलग्न दिनांक 08.04.2021 को अदम तामील प्राप्त हुए जिसमें उपाधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि दण्डित महिला शारदा पत्नी मातुलाल राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–12) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 7(16) गृह–12/कारा/2020 जयपुर दिनांक 17.09.2020 की पालना में दिनांक 08.11.2020को इस कारागृह से स्थाई पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। जिस पर वकील अपीलाण्ट रेस्पो. सं. 1 से 4 के सम्मन पुनः पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर वकील अपीलाण्ट ने रेस्पो. संख्या 03 के न ससुराल में व न पीहर में पता चलने के कारण सम्यक् रूप से समन की सूचना आदेश 05 नियम 20(2) के अनुसार प्रार्थी के खर्चे पर करवाये जाने के आदेश जारी किये जाने बाबत प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया जिसकी बहस सुनी गई तथा रेस्पो. 03 के साथ–साथ रेस्पो सं. 1 ता 04 की तामील जरिये राज्य स्तरीय अखबार करवाने का आदेश दिया गया। जिस पर रेस्पो. संख्या 1,3,4 की तामील जरिये अखबार होने के पश्चात् भी उक्त रेस्पो. के न्यायालय में उपस्थित न होने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अधिवक्ता अपीलांट व पैरोकार राज की बहस सुनी

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में प्रस्तूत प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहरतो हुए कथन किया कि उ[illegible] है। रेस्पो सं. तीन ने उतराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पति में अपने अधिका[illegible]पित कर दिया है। अतः नामान्तरण सं. 990 व 991 दिनांक 05.09.2017 [illegible] किया [illegible] चूरू को आदेशित किया जाये कि रेस्पोडेंट शारदा दे[illegible] का नामान्तरण अपीलाण्ट व उसके भाई दिनेश के नाम दर्ज किये जाने का आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्टान द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील ग्राम कड़वासर के नामान्तरकरण सं. 990 व 991 दिनांक 15.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। जिस इन्तकाल के द्वारा स्व. मातुराम के फौत हो जाने पर जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा जारी स्व. मातुराम के कुर्सीनामा के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. अपीलाण्ट व रेस्पो. सं. 3 व 4 के नाम दर्ज किया जाकर दिनांक 5.09.2017 को उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। उक्त अपीलाधीन इन्तकाल में स्व. मातुराम की पत्नी शारदा देवी के नाम हटवाया जाकर शारदा देवी के हिस्से की भूमि मातुराम के पुत्र व पुत्री के नाम दर्ज किये जाने के लिय यह अपील पेश की गई है। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधिश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या–02 जयपुर नगर निर्णय दिनांक 30.05.2007 में अभियुक्तगण महेन्द्र सेनी व अभियुक्ता शारदा पत्नी स्व. मातुराम को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास व दो–दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पति की हत्या करने वाली अपने पति सें प्राप्त होने वाली संपति में अपने अधिकारों सें वंचित हो जाती है। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 05 पेश की है तथा उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के समय कोरोना काल था अतः न्यायहित में मियाद में छूट दी जा सकती है। ग्राम पंचायत कड़वासर ने इस अहम कानूनी बिन्दु का ध्यान न देकर विधि विरूद्ध विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर रेस्पोडेंट संख्या 03 का नाम मृतक का नाम मृतक के उतराधिरी के रूप में स्वीकार करते हुए नामान्तरण स्वीकार किया है। फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा उक्त नामान्तरण का पष्ठांकन राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया।

उपरोक्त दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत रूप से से विधिक नियमों का ध्यान दिये बगेर किया गया है। इसलिए उक्त विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरण संख्या 990 व 991 दिनांक 05.09.2017 ग्राम पंचायत कड़वासर प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपीलांट पुत्री स्व. मातुराम स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 990 व 991 दिनांक 09.05.2017 ग्राम कड़वासरा खारिज किया जाता है एवं ग्राम पंचायत कड़वासर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विधिक नियमों ध्यान रखा जावे ताकि वाद बहुलता न बढ़े। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 138, 139, 207, 208, 211, 213, 214, 372, 373, 374 तादादी 29.0108 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 482/ रोही ग्राम रोही ग्राम कड़वासर में स्व. मातुराम के हिस्से की कृषि भूमि में सें रेस्पो. संख्या 03 का नाम हटाया जाकर रेस्पोडेंट शारदा देवी के हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरण अपलाण्ट पूजा व उसके भाई रेस्पो. सं 04 के नाम दर्ज की जावे। उनके सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज किया जावें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:08 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू